भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *186

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

कच्चे तेल पर संग्रहीत उपकर

*186. **डॉ. थोल तिरूमावलवन:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए कच्चे तेल पर संग्रहीत उपकर से सम्बन्धित कोई आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अभीष्ट प्रयोजनों के लिए धनराशि खर्च की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है कि कच्चे तेल पर संग्रहीत उपकर का अभीष्ट प्रयोजनों के लिए प्रभावी और पारदर्शी रूप से उपयोग किया जाए?

उत्तर

वित्त मंत्री (निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटन पर रख दिया गया है।

कच्चे तेल पर संग्रहीत उपकर के बारे में दिनांक 05 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ डॉ. थोल तिरूमावलवन के द्वारा पूछे गए लोक सथा तारांकित प्रश्न सं. 186 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क), (ख) तथा (ग): कच्चे तेल पर तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत एकत्र किए गए उपकर और प्रमुख व्यय का विवरण, सचिवालय व्यय को छोड़कर, तेल उद्योग के विकास, जिसमें रणनीतिक तेल भंडार, सब्सिडी और तेल बांड पर ब्याज में योगदान शामिल है, के लिए सरकार द्वारा किया गया है जिसका पिछले पाँच वर्षों का ब्यौरा निम्नलिखित है-

वर्ष	एकत्र की गउपकर राशि ई (रुपये करोड़ में)	व्यय (रुपये करोड़ में)
2019-20	14,062	52768
2020-21	10,894	52146
2021-22	19,353	15886
2022-23	21,497	37715
2023-24 (RE)	18,500	21555
कुल	**84306**	**180070**
